न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 30/2019 निर्णय दिनांक — 10.04.2019

देवीसिंह पिता कल्याण सिंह जाति राजपुत उम्र 64 वर्ष निवासी कुण्डाई हा0मु0 अम्बा नगर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— प्रार्थी

//बनाम//

1. कैलाशचन्द्र पिता बगदीराम जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी कासोद दरवाजा, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. चान्दमल पिता बगदीराम जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी कासोद दरवाजा, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. बबली बाई बेवा बगदीराम जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी कासोद दरवाजा, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. बाल मुकन्द पिता माधुलाल जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी शीतला माता वाली गली होली थडा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. रामचन्द्र पिता माधुलाल जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी शीतला माता वाली गली होली थडा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. भेरूलाल पिता माधुलाल जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी शीतला माता वाली गली होली थडा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सीगरी पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 46 की आराजी नं0 101 रकबा 0.010 हैक्टेयर आराजी नं0 102 रकबा 0.010 हैक्टेयर आराजी नं0 103 रकबा 1.110 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सीगरी पटवार हल्का जलिया तहसील निम्बाहेडा की वर्तमान खाता संख्या 46 की आराजी नं0 101 रकबा 0.010 हैक्टेयर आराजी नं0 102 रकबा 0.010 हैक्टेयर आराजी नं0 103 रकबा 1.110 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 18:44:08 IST
Reason: SelfAttested